कार्यालय नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय चन्दौली।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय चन्दौली की सरकारी वाहन UP-67-0277 जो निष्प्रयोज्य घोषित हो चुकी है की सार्वजनिक नीलामी जनपद न्यायालय चन्दौली के कार्यालय में दिनांक-05.07.2024 को अपरान्ह 01.30 बजे दिन में नीलामी के लिए गठित समिति के समक्ष निम्न शर्तों पर की जायेगी।

नीलामी की शर्ते

1. सरकारी वाहन UP-67-0277 कार्यालय पर खड़ी है जिसे नीलामी के पूर्व सरकारी वाहन UP-67-0277 देखी जा सकती है वह जहाँ है उसी हालत में उसका विक्रय नीलाम समिति द्वारा नियमत तिथि/स्थान पर किया जायेगा। बोली बोलने वाले की अपनी जिम्मेदारी होगी कि वह बोली बोलने से पहले वाहन का भली-भाँति निरीक्षण कर ले।

2. नीलामी के लिए गठित समिति को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिला बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर दें। अन्तिम उच्चतम् बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रुप से स्वीकार की जायेगी।

3. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली दाता को बोली बोलने से पूर्व अग्रिम के रुप में 5000.00 रु. (पाँच हजार रु.) जमा करके टोकेन प्राप्त करना होगा।

4. नीलामी के अन्त में सर्वोच्च बोली दाता को बोली की आधी धनरासि तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष धनरासि नीलामी के स्वीकार होने के उपरान्त जमा करनी होगी। यदि उच्चतम बोली बोलने वाला व्यक्ति यह धनराशि जमा नही करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा पुन नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

5. बोली की अन्तिम रुप से स्वीकृति होने के पश्चात उसकी सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर उच्चतम् बोली दाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि जमा करके वाहन को ले जाना होगा। यदि सम्बन्धित द्वारा समयान्तर्गत परिसर से वाहन नही हटाया जाता है तो कार्यालय में जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

6. जब तक समिति द्वारा स्वीकार की गयी अन्तिम बोली को समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा अन्तिम रुप से अनुमोदित नही किया जाता है तब तक नीलाम की गयी वाहन की चौकसी करने के लिये वॉछित प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी उच्चतम बोली बोलने वाले वयक्ति की होगी लेकिन नीलाम की गयी गाड़ी जनपद न्यायालय चन्दौली परिसर में रखा जायेगा। गाड़ी की सुरक्षा का दायित्व उच्चतम बोली बोलने वाले का होगा।

7.शासनादेशनुसार विक्रय मूल्य पर स्टाम्प सुल्क, बिक्रीकर, आयकर पर पूरा विक्रय मूल्य जमा करना होगा।

8. नीलामी की बोली में वही व्यक्ति भाग ले सकते है जिनके ऊपर विभाग का कोई बकाया अवशेष न हो।

9. नीलामी स्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को है।

10. नीलामी स्वीकृत करने के पूर्व किसी स्तर पर पूर्व किसी स्तर पर पूर्व सूचना दिये जाने और इसे निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित है।

21/6/24

प्रभारी अधिकारी नजारत
जनपद न्यायालय चन्दौली।